न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 205 / 2021

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. प्रभुराम पुत्र पुत्र श्री बीरबल राम जाति अहीर(यादव)निवासी 7 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. अमरसिंह पुत्र श्री बीरबल राम जाति अहीर(यादव)निवासी 7 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. भागीरथ पुत्र श्री बीरबल राम जाति अहीर(यादव)निवासी 7 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. रामचन्द्र पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति अहीर(यादव)निवासी 7 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीभगवान पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति अहीर(यादव)निवासी 7 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर

6. हनुमान सिंह
7. हरफुल सिंह
8. बंसीलाल
9. महेशपाल
10. रोहताश

} पिसरान श्री मूलचंद जाति अहीर साकिन मन्नीवाली तह. व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

11. इन्द्राज पुत्र श्री मूलचन्द ---(फौत)

11/1–गोपीराम पुत्र स्व. श्री इन्द्राज जाति अहीर (यादव) निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12. राजाराम –
13. संतराम
14. कृष्णलाल

} पिसरान श्रीराम अकवाम अहीर (यादव) निवासी मन्नीवाली तह. सादुलशहर श्रीगंगानगर

15. रामकुमार –
16. रामगोपाल

} पिसरान श्री आत्माराम अकवाम अहीर (यादव) साकिन मन्नीवाली तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

—— वादीगण

9.9.2022
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बनाम

1. किस्तूरी पुत्री श्री मूलचन्द पत्नी श्री सुभाषचन्द्र जाति यादव निवासी वार्ड नं. 20,28 पी ब्लॉक श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. सन्तो देवी पत्नी श्री सरजाराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. बिमला देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी श्री देवीलाल जाति यादव निवासी दडबाकलां तहसील नाथू श्रीचौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. भागवन्ती पत्नी } स्व. श्री इन्द्राज अकवाम अहीर (यादव) साकिन
5. मानू देवी पुत्री } मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. शान्ति देवी पुत्री श्री लेखराम पत्नी श्री मोहर सिंह --(फौत)
7. सरोज उर्फ सुलोचना पत्नी सुरेश कुमार पुत्री श्री शान्ति देवी जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. कर्ण सिंह } पुत्रगण श्री शान्ति देवी पत्नी मोहर सिंह
9. पूनमचन्द } साकिन जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. इमरती देवी पत्नी श्री हंसराज पुत्री श्री शान्ति देवी जाति यादव निवासी प्रेमनगर, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. कमलेश पत्नी पृथ्वीराज पुत्री श्री शान्ति देवी जाति यादव निवासी जीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. भूरी देवी पत्नी इन्द्राज पत्री श्री शान्ति देवी जाति यादव निवासी रामसरां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
13. मानू देवी पुत्री इन्द्राज पत्नी श्री लालचन्द जाति यादव निवासी 6 जी.के.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
14. विद्या देवी पुत्री लेखराम पत्नी श्री शम्भु राम ----(फौत)
15. भागवन्ती उर्फ सरला पत्नी श्री सुभाषचन्द्र पुत्री श्री विद्यादेवी जाति यादव निवासी दड़बा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
16. जले सिंह } पुत्रगण श्री विद्यादेवी पुत्री लेखराम पत्नी शम्भू राम
17. राजेराम } अकवाम यादव साकिल जोगीवाला तह. भादरा
18. रोहित }
19. सुबे सिंह }

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2022
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपस्थित– अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण (वादीगण)
अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार कस्वां (प्रतिवादीगण)
पैरोकार राज (प्रति.–18)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 09.09.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 एल.एन.पी. के खाता संख्या 72/57 पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 40 के किला नं. 1 में 0.2020 है0 किला नं. 2 ता 5 प्रत्येक मे 0.2280 है0, किला नं. 6 ता 9 प्रत्येक मे 0.2530 है0, किला नं. 10, 11 प्रत्येक में 0.2280 हैक्टयर, किला नं. 12 ता 19 में 0.2530 है0, किला नं. 20, 21 प्रत्येक में 0.2280 हैक्टयर, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2530 है0 कुल 6.0740 हैक्टयर नहरी, मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 3 ता 8 प्रत्येक मे 0.2530 है0, किला नं. 13/1 में 0.1260 है0, किला नं. 14 ता 17, 24, 25 प्रत्येक में 0.2530 है0 कुल 3.1620 हैक्टयर नहरी कुल दोनो मुरबो में 9.2360 हैक्टयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उपरोक्त रकबा जो वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम है व जद्दी जायदाद है जो विरास्तन वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ है। राजस्व रिकार्ड में घरू बंटवारा अनुसार रकबा दर्ज नहीं होने से, लगान व आबियाना देने मे, पानी की भराई, खिंचाई देने में कई प्रकार की कानूनी व्यवहारिक दिक्कते आती है व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पुरा फायदा नहीं मिल पाता इस कारण हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा व काश्त अनुसार रकबा अपने नाम दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी है। वादीगण के दादा स्वर्गीय श्री लेखराम के स्वर्गवास होने के बाद उनके रस्म पगड़ी के वक्त उनकी पुत्रीयां शान्ति देवी व विद्या देवी द्वारा अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष मे त्याग दिया था तब से लेकर आज तक वादीगण प्रत्येक भाई के वारिस 1/5––1/5 हिस्सा के अनुसार रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा स्वर्गीय मूलचन्द के स्वर्गवास के वक्त व सुरजाराम व इन्द्राज के स्वर्गवास के वक्त उनकी पुत्रीयों व पत्नी ने अपना हक त्याग कर दिया था इसलिए उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना आवश्यक व जरूरी स्वर्गीय मूलचन्द व सूरजाराम के स्वर्गवास होने के उपरान्त उनकी रस्म पगड़ी के वक्त इन्होने अपने हक व हिस्से का रकबा अपने भाईयों के हक में त्याग दिया था तब से इनके हक व हिस्सा पर वादीगण ही अपने हिस्सानुसार ही काबिज है व इसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। घरू बंटवारा अनुसार वादीगण प्रत्येक के पक्ष में रकबा निम्न प्रकार आया –

क– वादी सं. 1 ता 3 प्रभुराम, अमर सिंह [illegible] का हिस्सा बहिस्सा बराबर : 1.847 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

ख– वादी सं. 4 व 5 रामचन्द्र व श्रीभगवान का हिस्सा बहिस्सा बराबर : 1.847 हैक्टयर

ग– वादी सं. 6 ता 10 हनुमान सिंह, हरफुल सिंह, बंसीलाल, महेश, रोहताश का शीलार हिस्सा बहिस्सा बराबर कुल 1.539 हैक्टयर

9.9.2022
...अधिकारी (राजस्व)
...नगर

वादी संख्या 11/2 गोपीराम का हिस्सा कुल 0.308 हैक्टयर कुल तादादी 1.847 हैक्टयर

घ –वादी सं. 12 ता 14 राजाराम, संतराम, कृष्णलाल का हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर : 1.847 हैक्टयर

च. वादी सं. 15, 16 राजकुमार, रामगोपाल का हिस्सा बहिस्सा बराबर : 1.583 हैक्टयर

छ– बिमला देवी पुत्री सुरजाराम का हिस्सा : 0.264 हैक्टयर

वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा अनुसार इस प्रकार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा मे रकबा आया है उसी अनुसार प्रत्येक पक्ष के नाम रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व जिनके द्वारा हकत्याग दिया है उनका नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का नाम दर्ज हो जावे पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष मे सहमति के ब्यान नहीं करते है और ना ही अपना नाम कलमजन करवाते है तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय दावा है जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रतिवादीगण को इस बात का ईल्म होने पर कि वादीगण उनकी माताओ द्वारा किये गये हकत्याग के कारण राजस्व रिकार्ड में हम प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाने के लिए चाराजोरी कर रहे है तो उनके मन मे बदयान्ति आ पल गयी है और वह रकबा को ऐन–केन रहन बैय करने की फिराक में है अगर वह अपने इस मकसद मे कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी वादीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जावेगे व आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी इस कारण प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक व जरूरी है। वादीगण को घरू बंटवारानुसार प्रतिवादीगण की माताओ बहिनो द्वारा किये गये हकत्याग के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाने के लिए व अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के लिए दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए वादीगण दावा पेश करने के अधिकारी है। रघुवीर पुत्र सुरजाराम व जयपाल पुत्र शान्ति देवी लावल्द फौत हो गये है। रघुवीर के वारिस उसकी माता सन्तो देवी है व जयपाल की के वारिस उसके बहिन–भाई है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :

(क)– घोषित किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की मद संख्या 8 के अनुसार खातेदार काश्तकार है।

(ख)– इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे [illegible] किया जाकर हिस्सादृकस्सी दर्ज की जावे।

(ग)– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ)– प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि वह दौराने वाद वादीगण के कब्जा काश्त मे दख्लांदाजी नहीं करे।

(च)– अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व हम वादीगण के पक्ष मे हो प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:31:37 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2022
अधिकारी (राजस्व)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 , 4 ता 17 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 26.11.2021 को आपसी सहमति के आधार पर **राजीनामा** पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी प्रकरण मे हम पक्षकारो के बीच मे नजदीकी रिश्तेदारो द्वारा व परिवार के मौजिज लोगो द्वारा आपस मे राजीनामा करवा दिया है इस राजीनामा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने हक व हिस्सा पर काबिज हो गया है व हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

1. वादी सं. 1 ता 3 प्रभुराम, अमर सिंह, भागीरथ का हिस्सा 1.847 है0 बहिस्सा बराबर
2. वादी संख्या 4 व 5 रामचन्द्र व श्रीभगवान का हिस्सा 1.847 हैक्टयर बहिस्सा बराबर
3. वादी संख्या 6 ता 10 हनुमान सिंह, हरफुल सिंह, बंशीलाल, महेश, रोहताश का हिस्सा 1.539 हैक्टयर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 11/1 गोपीराम का हिस्सा 0.308 हैक्टयर कुल तादादी 1.847 हैक्टयर।
4. वादी संख्या 12 ता 14 राजाराम, संतराम, कृष्णलाल का हिस्सा 1.847 हैक्टयर बहिस्सा बराबर
5. वादी संख्या 15 व 16 राजकुमार, रामगोपाल का हिस्सा 1.583 हैक्टयर बहिस्सा बराबर
6. प्रतिवादी संख्या 3 बिमला देवी पुत्री सुरजाराम का हिस्सा 0.264 हैक्टयर।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 7 एलएनपी, पटवार क्षेत्र 6 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 72/57 की प्रमाणित प्रति पेश की। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री [illegible] सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी सं. 1 ता 3 प्रभुराम, अमर सिंह, भागीरथ का हिस्सा 1.847 है0 बहिस्सा बराबर
2. वादी संख्या 4 व 5 रामचन्द्र व श्रीभगवान का हिस्सा 1.847 हैक्टयर बहिस्सा बराबर

3. वादी संख्या 6 ता 10 हनुमान सिंह, हरफुल सिंह, बंशीलाल, महेश, रोहताश का हिस्सा 1.539 हैक्टयर बहिस्सा बराबर, वादी संख्या 11/1 गोपीराम का हिस्सा 0.308 हैक्टयर कुल तादादी 1.847 हैक्टयर।
4. वादी संख्या 12 ता 14 राजाराम, संतराम, कृष्णलाल का हिस्सा 1.847 हैक्टयर बहिस्सा बराबर
5. वादी संख्या 15 व 16 राजकुमार, रामगोपाल का हिस्सा 1.583 हैक्टयर बहिस्सा बराबर
6. प्रतिवादी संख्या 3 बिमला देवी पुत्री सुरजाराम का हिस्सा 0.264 हैक्टयर।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ॠण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.09.2022 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:37 IST
Reason: SelfAttested